संख्या-3/2019/आ0मि0-06/96-आयुष-2-2019-39/2016 टी0सी0-1

प्रेषक,

यतीन्द्र मोहन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 16 जनवरी, 2019

विषय- राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं की अवशेष धनराशि वर्ष 2018-19 में स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी लखनऊ के पत्र संख्या-268/57/सी/मि0नि0/2017-18, दिनांक 25-7-2018, पत्र संख्या-415/57/डी/मि0नि0/2018-19, दिनांक 17-9-2018 एवं पत्र संख्या-551/57/डी/मि0नि0/2018-19, दिनांक 31-10-2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30-3-2018 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राप्त अवशेष राज्यांश रू0 46.679 लाख (रूपया छियालिस लाख सरसठ हजार नौ सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है-:

1- आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-आर-14012/25/2017-एच एण्ड डी सेल, दिनॉक 07-5-2018 द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।

2- स्वीकृत धनराशि आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजनाओं पर ही व्यय की जायेगी। किन्हीं अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्यावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- अवमुक्त धनराशि का आहरण एक मुश्त नही किया जायेगा अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

4- अवमुक्त धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0 खाते में नही रखा जायेगा।

5- आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय आयुष मिशन के दिशा-निर्देश तथा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पूर्णत: पालन किया जायेगा।

6- आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य की द्धिरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृस्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

7- प्रस्तावित कार्यो को समय से कराये जाने का पूर्ण दायित्व राज्य आयुष सोसाइटी, उत्तर प्रदेश का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण केन्द्र सरकार व राज्य सरकार को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा तथा यथास्थिति अवशेष धनराशि के समायोजन का उत्तरदायित्व राज्य आयुष सोसाइटी, उत्तर प्रदेश का होगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक सपठित वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30-3-2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) के शासनादेश संख्या-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017, दिनॉक 20.11.2017 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-34 के लेखा शीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05 चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-103-होम्योपैथी-01 केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-राष्ट्रीय आयुष मिशन (के0-60/रा0-40-के0+रा0)-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-3-2517/दस-2018, दिनॉक 09-01-2019 में प्राप्त सहमति के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(यतीन्द्र मोहन)
विशेष सचिव।

संख्या-3/2019/आ0मि0-06(1)/96-आयुष-2-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- संयुक्त सचिव/निदेशक, आयुर्वेद, योगा एवं नैचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी मंत्रालय, आयुष भवन, बी ब्लाक, जीपीओ काम्पलेक्स, आईएनए, नई दिल्ली।
3- मिशन निदेशक, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, यूनानी निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त अधिकारी, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं आयुष अनुभाग-1
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(यतीन्द्र मोहन)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in